(75)

संख्या–154/XVIII(II)/2012–3(65)2011

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनःदिनांकः 11 जनवरी, 2012

विषयः–आयकर विभाग को कलेक्ट्रेट परिसर में आयकर कार्यालय की स्थापना हेतु 1740 वर्गमीटर भूमि आवंटित किए जाने हेतु औपचारिक स्वीकृति एवं भूमि के मूल्य निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–1650/नौ–रा0सहा0/2011 दि0–15.4.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार, आयकर विभाग को कलेक्ट्रेट परिसर में आयकर कार्यालय की स्थापना हेतु आवंटित 1740 वर्गमीटर भूमि प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त उक्त भूमि की मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में भुगतान करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथंवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगना बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

.....2

4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।
5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. आयकर विभाग की आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण के संबंध मे संबंधित विभागो/प्राधिकरणों से नियमानुसार आवश्यक सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।
7. भूमि के मूल्य का निर्धारण संबंधित शासनादेशों के अनुसार जिलाधिकारी के स्तर पर किया जाएगा।
8. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किए जाने वाले आदेश की एक प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0– 145 /संमदिनांकित/2012

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. आयकर अधिकारी, उधमसिंह नगर।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।